



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271454
CG-DL-E-31032026-271454

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1599]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2026/चैत्र 10, 1948

No. 1599]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2026/CHAITRA 10, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2026

का.आ. 1664(अ).—केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे आगे “आयकर अधिनियम” कहा जाएगा) की धारा 10 के खंड (46ए) के उपखंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा “राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग” (पैन: AAABR0296D) (जिसे आगे “निर्धारित” कहा जाएगा) को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का 14,) के तहत गठित एक आयोग के रूप में अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगी बशर्ते कि निर्धारित इस आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46ए) के उपखंड (ए) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक प्रयोजनों के साथ विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का 14) के तहत गठित आयोग बना रहे।

[अधिसूचना सं. 53 /2026/फा.सं.300195/48/2025-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव